राजस्थान सरकार

कार्यालय आयुक्त उद्योग एवं शासन सचिव कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर)

उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर–302 005

क्रमांक : एफ.1(535)आ.उ./पीएडीअनु/सीधी भर्ती/पार्ट–III/12 जयपुर, दिनांक 11-9-2017

:: आदेश ::

राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवायें (संयुक्त प्रतियोगी) परीक्षा, 2013 में परिणाम के आधार पर राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान उद्योग अधीनस्थ सेवा नियम, 1966 के प्रावधानुनासार में निम्नांकित सफल अभ्यर्थियों को राजस्थान उद्योग अधीनस्थ सेवा में **दो वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (जिला उद्योग अधिकारी)** के रूप में उपस्थिति देने की संगत तिथि से राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर ज़ारी निर्देश/परिपत्र तथा सेवा नियमों के अनुसार देय स्थिर पारिश्रमिक/वेतन भत्तों पर महामहिम राज्यपाल महोदय की ओर से एतद् द्वारा नियुक्त करते हैं। यह संगत तिथि पदस्थापन स्थान पर रिपोर्ट करने की तिथि अनुसार होगी:–

क्र. सं.	मेरिट सं.	रोल नम्बर	अभ्यर्थी का नाम	श्रेणी	जन्मतिथि	पदस्थापन स्थान	वि.वि.
1.	303	941680	भानू प्रताप सिंह पुत्र श्री मधुसूदन सिंह राणावत, 11, बथेरा कॉलोनी, फतेहपुरा, तह. गिरवा, जिला उदयपुर, राजस्थान– 313001 मोबाइल–9784988457	GE	30.10.1985	जिला उद्योग केन्द्र, चितौड़गढ़, जिला उद्योग अधिकारी के रिक्त पद पर	प्रोविजनल
2.	331	903130	बजरंग सांगवा पुत्र श्री भीखाराम, ग्राम भवाद, पोस्ट– बासनी, तह. व जिला नागौर राजस्थान– 341021 मोबाइल– 9413454639	BC	09.06.1991	जिला उद्योग केन्द्र, हनुमानगढ़, जिला उद्योग अधिकारी के रिक्त पद पर	–
3.	446	925007	पूनम राठौड़ पुत्री श्री दिलीप सिंह, 6 & 6A, प्रताप नगर, नियर शिव नगर, झोटवाड़ा, जयपुर, राजस्थान। मोबाइल– 9783828392	GE, WE	31.10.1992	जिला उद्योग केन्द्र, अजमेर, जिला उद्योग अधिकारी के रिक्त पद पर	प्रोविजनल
4.	621	922620	प्रीति गुर्जर पुत्री श्री किशना राम गुर्जर, A–296, शिखा विहार, जगतपुरा, जयपुर, राजस्थान। मोबाइल– 7597614951	SB, WE	10.04.1990	जिला उद्योग केन्द्र, पाली, जिला उद्योग अधिकारी के रिक्त पद पर	–

राजस्थान सरकार

कार्यालय आयुक्त उद्योग एवं
शासन सचिव कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर)

उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर–302 005

5.	1091	901241	मेघराज मीना पुत्र श्री श्रीराम मीना, ग्राम रायपुरा, पो. कल्याणपुरा, तह. लालसोट, जिला दौसा, राजस्थान मोबाइल–9694760257	ST, RG	05.07.1986	जिला उद्योग केन्द्र, कोटा, जिला उद्योग अधिकारी के रिक्त पद पर	–

उक्त कार्मिकों का आवंटन कार्मिक (क–4, अनु–2) विभाग, राजस्थान, जयपुर के पत्र कमांक प.9(190)कार्मिक/क–4/2/2017 दिनांक 03.08.17 के द्वारा उद्योग विभाग में उद्योग अधीनस्थ सेवा के जिला उद्योग अधिकारी के पद पर नियुक्ति के लिए किया गया है।

नियुक्तियां निम्नलिखित शर्तों के अधीन की जा रही हैं:–

1. उक्त सेवा आवंटन मा. सर्वोच्च न्यायालय में दायर स्पेशल अपील सं. 18272–76/2008 (सिविल अपील संख्या 2049–2053/2011) तथा याचिका सं. 140/11 एवं मा. उच्च न्यायालय में याचिका सं. 6744/2008, 11200/2010, याचिका सं. 1862/2013 और मा. उच्च न्यायालय में लम्बित सभी विभिन्न रिट याचिका/विशेष अनुमति याचिकाओं एवं समस्त वादकरण के अंतिम निर्णय के अध्यधीन रहेगी। इसके साथ ही मा. उच्च न्यायालय में दायर डी.बी. स्पेशल अपील रिट सं. 334/17 द्वारा श्री भंवराराम चौधरी व अन्य में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 09.05.17 तथा एसबीसिविल रिट पिटिशन सं. 7815, 7825/17 व 8020/17 द्वारा देवन्द्रपाल सिंह चौहान बनाम राज्य सरकार में पारित अंतरिम निर्णय दिनांक 12.07.17 की अनुपालना में नियुक्तियां उक्त आदेश के अध्यधीन रहेंगी। इसी प्रकार डीबी स्पेशल अपील रिट स. 1488/16 झाबरमल ग्रहवाल तथा 1410/16 द्वारा लक्ष्मण सिंह बनाम आयोग के प्रकरणों में मा. उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा पारित संयुक्त निर्णय दिनांक 26.05.17 के विरूद्ध मा. उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में एस.एल.पी. तथा एस.बी.सी.डब्ल्यू. पी. स. 13952/16 रामूराम बनाम राज्य सहित कुल 07 रिट याचिकाओं/ प्रकरणों (यथा एस.बी.सी.डब्ल्यू. पी. स. 13952/16, 13473/16, 13930/16, 13953/16, 13994/16, 14398/16 व 15120/16) में मा. न्यायालय, जोधपुर द्वारा पारित संयुक्त निर्णय दिनांक 30.05.17 के विरूद्ध खंड पीठ के समक्ष दायर की जाने वाली एस.एल. पी. के निर्णय के अध्यधीन रहेगी। मा. उच्च न्यायालय में दायर रिट सं. 11200/2010 के अध्यधीन भी उक्त नियुक्तियां रहेंगी।

2. इन परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी को वित्त विभाग की अधिसूचना कमांक प.1(2) वित्त/नियम/06 दिनांक 13.03.2006 एवं F.14(1)FD/RULES/2013 PT दिनांक 08.06.2015 के अनुसरण में नियत पारिश्रमिक दिया जायेगा। यह पारिश्रमिक उच्चतम

राजस्थान सरकार

कार्यालय आयुक्त उद्योग एवं
शासन सचिव कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर)

उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर–302 005

न्यायालय में लंबित एस.एल.पी. 25565/2015 राजस्थान राज्य बनाम गोपाल कुमावत के निर्णय के अध्यधीन होगा।

3. गर्भवती महिलाओं के लिए कार्मिक (क–2) विभाग के परिपत्र क्रमांक प.15(1) कार्मिक/क–2/74 दिनांक 16.08.2005 में वर्णित प्रावधान प्रभावी होंगे।
4. उक्त अभ्यर्थियों की जन्म तारीखें वे ही है जो इन्होंने परीक्षा के आवेदन पत्रों में अंकित की है और जिन्हें राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा सम्यक सत्यापन के पश्चात स्वीकार किया गया है।
5. उक्त नियुक्तियां राजस्थान उद्योग अधीनस्थ सेवा नियम–1966 और राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों एवं शर्तो के अध्यधीन होंगी।
6. यह नियुक्ति अस्थाई है। सभी अभ्यर्थी राजस्थान उद्योग अधीनस्थ सेवा नियम–1966 के नियम–30 के अन्तर्गत 2 वर्ष की परिवीक्षाकाल में रहेंगे तथा राज्य सरकार द्वारा अन्यथा आवश्यक समझे जाने पर परिवीक्षा की अवधि स्वविवेकानुसार बढाई जा सकती है।
7. यदि सरकार की राय में इनका कार्य या आचरण परिवीक्षा की समयावधि में संतोषप्रद नहीं पाया जाये अथवा यह प्रतीत हो कि इनमें एक दक्ष राजस्थान उद्योग अधीनस्थ सेवा अधिकारी (जिला उद्योग अधिकारी) होने की क्षमता नहीं है तो सरकार इन्हें सेवा से तुरन्त विमुक्त कर सकेगी।
8. उक्त अभ्यर्थियों में से कोई भी अभ्यर्थी यदि प्रशिक्षण की कालावधि के दौरान या प्रशिक्षण की समाप्ति के दो वर्ष के भीतर त्यागपत्र दे देता या कोई अन्यत्र नियुक्ति ग्रहण कर लेता है तो प्रशिक्षण की कालावधि के दौरान उसे संदत्त की गई परिलब्धियों की दो गुना राशि तथा सरकार द्वारा उसके प्रशिक्षण पर व्यय राशि की दो गुना राशि सरकार को प्रति संदत्त करने की अपेक्षा की जावेगी तथापि यात्रा एवं दैनिक भत्तों के रूप में संदत्त की गई राशि वसूली योग्य नहीं होगी। अभ्यर्थी सेवा ग्रहण करने से पूर्व विहित प्रारूप में इस आशय का एक बन्धक पत्र निष्पादित करेंगे।
9. राजस्थान यात्रा भत्ता नियमों के अनुभाग–I अध्याय में आने वाले मामलों को छोड़कर सेवा ग्रहण करने के लिए कोई यात्रा भत्ता संदत्त नहीं होगा।
10. किसी अभ्यर्थी के दिनांक 01.06.2002 को या उसके पश्चात 2 से अधिक संतान होने की स्थिति में नियुक्ति के लिए पात्रता नहीं मानी जाएगी अर्थात नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।
11. राज्य सरकार के कार्मिक (क–2) विभाग राजस्थान जयपुर के परिपत्र क्रमांक प 8(1)कार्मिक/2/2003 दिनांक 09.06.2003 के अनुसार दिनांक 01.04.2003 एवं उसके पश्चात नियुक्त कर्मचारियों पर पूर्व से चले आ रहे पेंशन नियम लागू नहीं होंगे अपितु अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।

सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

कार्यालय आयुक्त उद्योग एवं
शासन सचिव कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर)

उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर–302 005

12. जिन अभ्यर्थियों ने आधारभूत पाठ्यक्रम पहले से उत्तीर्ण कर लिया है, वे आधारभूत पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने की अंकतालिका रिपोर्टिंग के समय इस विभाग को आवश्यक रूप से प्रस्तुत करेंगे। जिन अभ्यर्थियों ने आधारभूत पाठ्यक्रम उत्तीर्ण नही किया है उन्हें हरिशचन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान द्वारा आयोजित किये जाने वाले आधारभूत प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य है। अभ्यर्थियों के लिए हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान द्वारा तय छात्रावास में प्रशिक्षण के दौरान निवास करना अनिवार्य है।
13. उक्त अभ्यर्थियों की नियुक्तियां उनके चरित्र आदि संतोषजनक पाये जाने के अध्यधीन रहेंगी। यदि किसी अभ्यर्थी के विरूद्ध प्रतिकूल चरित्र सत्यापन एवं स्वास्थय परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होती है तो उसकी नियुक्ति स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी। बकाया रिपोर्ट प्राप्त होने तक अभ्यर्थी की नियुक्ति प्रोविजनल मानी जावेगी।
14. नियुक्त अभ्यर्थी, जो विवाहित हैं उन्हें अपना विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र एवं जीवित संतान/संतानों की सूचना उपस्थिति के समय प्रस्तुत करनी होगी, अन्यथा उपस्थिति की अनुमति प्रदान नहीं की जावेगी।
15. उक्त अभ्यर्थियों में से कोई भी अभ्यर्थी नियुक्ति आदेश प्राप्त होने की तिथि से 7 दिवस पश्चात तक भी रिपोर्ट नहीं करते है और ना ही किसी प्रकार की सूचना विभाग को भिजवाते है तो उनके नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त समझे जायेंगे।

आयुक्त, उद्योग

क्रमांक : एफ.1(535)आ.उ./पीएडीअनु/सीधी भर्ती/पार्ट–III/12 जयपुर, दिनांक 11-9-2017

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय उद्योग मंत्री, राज., सरकार।
2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
3. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क–4/2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निदेशक, हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान रीपा, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उद्योग (एमएसएमई)।
6. संबंधित अधिकारियों को रजिस्टर्ड डाक द्वारा।
7. अतिरिक्त निदेशक, उद्योग (संस्थापन) मुख्यालय, जयपुर।
8. संयुक्त निदेशक, उद्योग (कम्प्यूटर) को विभाग की वेबसाईट हेतु।
9. संबंधित महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द को भेजकर निर्देश दिये जाते है कि नवनियुक्त परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी जो विवाहित हैं उनसे विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र एवं जीवित संतान/संतानों की सूचना तथा कोई आपराधिक प्रकरण बकाया नहीं होने के संबंध

राजस्थान सरकार

कार्यालय आयुक्त उद्योग एवं
शासन सचिव कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर)

उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर–302 005

में स्व घोषणा पत्र उपस्थिति के समय प्राप्त करना सुनिश्चित करे एवं इन अभ्यार्थियों को 4 सप्ताह का विभागीय प्रशिक्षण देने के पश्चात ही कार्य आंवटित करें।

10. निजी सहायक, आयुक्त, उद्योग।
11. निजी / रक्षित पत्रावली।

11/9/2017

संयुक्त निदेशक, उद्योग